



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06072026-274188
CG-TL-E-06072026-274188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3487]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 2026/आषाढ 13, 1948

No. 3487]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 2026/ASHADHA 13, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 03 जुलाई, 2026

का.आ. 3646(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप धारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, तेलंगाना राज्य के मेडचल – मलकाजगिरि ज़िले में, अलवाल मंडल के माचाबोलारम गाँव में, बोलारम – केवलरी ब्यारकस स्टेशनों के बीच कि.मी. 607/1-4 पर समपार संख्या 250 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण, अर्थात् एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उपधारा- (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, मलकाजगिरि को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, मलकाजगिरि आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उपधारा- (2) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण : तेलंगाना राज्य के मेडचल – मलकाजगिरि ज़िले में, अलवाल मंडल के माचाबोलारम गाँव में, बोलारम – केवलरी ब्यारकस स्टेशनों के बीच कि.मी. 607/1-4 पर समपार संख्या 250 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण

क्र. सं.	सर्वे सं.	अधिग्रहणाधीन क्षेत्रफल	भूमि की प्रकृति	वर्गीकरण	उप-विभाग सं.
1	34	1.416 गुंटे	पट्टा	आबी एक फसली	34/P
2	37	0.355 गुंटे	पट्टा	मेट्टा / शुष्क	37/P
3	39	0.371 गुंटे	पट्टा	मेट्टा / शुष्क	39/P
4	40	0.114 गुंटे	पट्टा	मेट्टा / शुष्क	40/P
5	43	--	पट्टा	मेट्टा / शुष्क	43/P
6	--	0.212 गुंटे	ग्रामकंठम्	--	--
7	--	सर्वे सं. 34 (ए. 1.31 गुंटे) सर्वे सं. 39 (ए. 0.28 गुंटे)	सड़क	--	--

[फा.सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.250/SC-MUE/HYB]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 3rd July, 2026

S.O. 3646(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 250 at Km. 607/1-4 in between Bolaram – Cavalry Barracks stations” in Machabollaram Village of Alwal Mandal in Medchal Malkajgiri District in the State of Telangana, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority for Land Acquisition(CALA), namely, Revenue Divisional Officer, Malkajgiri Division in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Malkajgiri Division shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 250 at Km. 607/1-4 in between Bolaram – Cavalry Barracks stations” in Machabollaram Village of Alwal Mandal in Medchal Malkajgiri District in the State of Telangana

S.No	Sy.No	Extent under Acquisition	Nature of Land	Classification	Sub-Division No
1	34	1.416 guntas	Patta	Abi ek Fasli	34/P
2	37	0.355 guntas	Patta	Metta / Dry	37/P
3	39	0.371 guntas	Patta	Metta / Dry	39/P
4	40	0.114 guntas	Patta	Metta / Dry	40/P
5	43	--	Patta	Metta / Dry	43/P
6	--	0.212 guntas	Gramakantam	--	--
7	--	Sy.No.34 (Ac.1.31 guntas) Sy.No.39 (Ac.0.28 guntas)	Road	--	--

[F.No. RSP/Gazette/20A/LC.No.250/SC-MUE/HYB]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP